लय

न मूल सिंह बनाम कल्याण सिंह

सं. नं. 12/2022

	13/09/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब आवेदन 151 CPC हेतु अवसर चाही अवसर दिया गया। आ0 पेशी पर जवाब आवेदन आवश्यक। समय के पेश हो। पत्रावली दि. 4/10/22 को पेश हो। [illegible] पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible] [illegible] अधिकारी [illegible]/अन्य कार्य में [illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/10/22 को पेश हो [illegible]	
4/10/22	**11/10/22** पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 19/10/22 को पेश हो। [illegible]	
	19/10/22 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। आवेदन 151 CPC व T.I. आवेदन पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस T.I. आवेदन के मुताबिक रही। वकील प्रार्थी ने आवेदन अनुसार कृषि भूमि खसरा 847 रकबा 2.70 है0 ग्राम अनाखू तहसील धोद जिला सीकर के अवस्थित है जिसके प्रार्थी व प्रत्यर्थी प्रतिवादी सं. 6 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 के मृतक पिता रतनाराम के का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी के [illegible]	

को रतनाराम पुत्र जोधाराम तथा इसके पश्चात् पहले पालाराम उर्फ मालाराम पुत्र जोधाराम बहिन था जिसके फौत होने पर अप्रार्थी नं. 1 कमला देवी का हिस्सा है। अप्रार्थी नं. 1 वादग्रस्त भूमि के खातेदार आवश्यक व्यक्ति है जिसके पूर्व खातेदार पालाराम उर्फ मालाराम के भूमि क्रय कर अपने पक्ष में नामान्तरण नं. 1758 दि. 8/01/2025 को स्वीकृत करवाकर वादग्रस्त भूमि के मनचाहे स्थान पर कब्जा करने व प्रार्थी को बलात बेदखल करने पर आमदा है। अप्रार्थी नं. 1 व 2 प्रार्थी हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करने की धमकियाँ जारी है। प्रार्थी के हिस्से को दीगर व्यक्तियों को अन्तरण करने की धमकी दी जा रही है। इसलिए अप्रार्थी नं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने जवाब T.I. पेश किया जिसमें कथन किया कि पक्षकारान ने विवादित कृषि भूमि ख.नं. 847 रकबा 2.70 है. का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके पर विभाजन कर अलग-अलग मेंड़ खींच कायम कर रखी है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी/जवाबदाता के पिता के खाते, कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 847 रकबा 2.70 है. मौजा ग्राम अनोखू तहसील व जिला बालो... में अवस्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी/जवाबदाता के पिता रतनाराम का 1/4 हक हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी/जवाबदाता के पिता रतनाराम पुत्र जोधाराम की मृत्यु हो चुकी है एवं स्व. रतनाराम के अन्य वारिसान द्वारा अप्रार्थी/जवाबदाता के हक में समर्पण पत्र निष्पादित किये जाने के

विवादित कृषि भूमि के 1/4 हिस्से का अप्रार्थी/न्यायदाता अंकित काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। वर्तमान के प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जिसके अप्रार्थी/न्यायदाता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र TS स्वीकार फरमाया जावे।

उभय वकील उक्त पत्र पर मनन किया। पत्रावली व आवेदन 151 CPC का व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी व प्रफोर्मा प्रतिवादी नं. 2 विवादित कृषि भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार हैं। विवादित कृषि भूमि का पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा आवेदन 151 CPC के अनुसार विवादित भूमि का रतनाराम पुत्र जोधाराम 1/4 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। जिसका पुत्र ~~स्व~~ भगवानाराम पत्रावली अप्रार्थी सं 2 है पुत्र रतनाराम संयोजित है। जिसका नामान्तरण स्वयं पक्षकार न्यायसंगत है। मूलवाद तस्दीक किया जाना न्यायसंगत है। मूलवाद बंटवारे से संबंधित है जिसका ~~[illegible]~~ निस्तारण मूलवाद में गुणावगुण आधार पर किया जाना है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी सं 2 भगवानाराम पुत्र रतनाराम को विरासत के नामान्तरण तस्दीक

करवाये जाने की स्वीकृति के साथ ग्राम [illegible]
नियमानुसार तक विवादित कृषि भूमि खसरा नं. [illegible]
रकबा 2.70 है. वाके ग्राम [illegible] तहसील धोद
जिला सीकर में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति
बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से खारिज हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

निर्णय दि. 19/10/22 को सरे इजलास
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर